संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक /2/अवि./सेल–डी.पी.सी./2015/832-H भोपाल, दिनांक 07/10/2015

//आदेश//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक/2/अवि./सेल–डी.पी.सी. /2015/429–डी, भोपाल, दिनांक 19.06.2015 द्वारा श्री ओ.पी.तिवारी एन.एम.ए. जिला भोपाल की पदोन्नति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,रायसेन के अधीन की गई है ।

आदेश के पालन में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायसेन के आदेश दिनांक 01.07.2015 के पालन में श्री ओ.पी.तिवारी की पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र औबेदुल्लागंज की गई है उनके द्वारा दिनांक 02.07.2015 को एन.एम.एस. के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक /2/अवि./सेल–डी.पी.सी. /2015/472–डी, भोपाल, दिनांक 30.06.2015 द्वारा उक्त आदेश दिनांक 19.06.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री तिवारी को विकास खण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन में पदस्थ किया गया है।

श्री तिवारी द्वारा संचालनालय के आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध मान.उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क.डब्ल्यू.पी.11202/2015 दायर करते हुए पूर्व पदस्थापना सामु.स्वा.केन्द्र औबेदुल्लागंज जिला रायसेन में रखने हेतु निवेदन किया गया है । जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.07.2015 में निर्णय पारित करते हुये दिनांक 02.07.2015 को यथास्थिति बनाये रखते हुये अभ्यावेदन का निराकरण करने हेतु निर्देश पारित किया गया है ।

अतः माननीय न्यायालय निर्णय के परिपालन में आवेदक के अभ्यावेदन का निराकरण करते हुए श्री ओ.पी.तिवारी एन.एम.एस. सामु.स्वास्थ्य केन्द्र औबेदुल्लागंज में पूर्व की भांति यथावत कार्य करेंगे ।

संचालनालय के आदेश कमांक /2/अवि./सेल–डी.पी.सी./2015/472–डी, भोपाल, दिनांक 30.06.2015 के सरल कमांक 38 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सोहनदास शर्मा का मुख्यालय औबेदुल्लागंज के स्थान पर विकासखण्ड उदयपुरा जिला रायसेन किया जाता है ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर...........2/

क्रमांक /2/अवि./सेल-डी.पी.सी./2015/833-H भोपाल, दिनांक 07/10/2015

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।
2. संयुक्त संचालक/एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय ।
3. उप संचालक लीगल स्थानीय कार्यालय ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन/भोपाल म.प्र. ।
5. संबंधित कर्मचारी की ओर पालनार्थ द्वारा -मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन म.प्र. ।

06/10/15

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

Desktop/DPC/ DPC Order

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 2/अवि./सेल–डी.पी.सी/2015/429-D भोपाल,दिनांक 19/06/2015

:: आदेश ::

संचालनालय स्तर पर दिनांक 13.11.2014 को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा उपरान्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित नॉन मेडिकल असिस्टेंट को नॉन मेडिकल सुपरवाईजर के पद पर वेतनमान रूपये 5200–20200 +ग्रेड पे 2800 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन रिक्त पद पर अस्थाई तौर से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना स्थान
1	श्री आर.एस शर्मा, (सामान्य)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया।
2	श्री ए.के. पिप्पल, (अ.जा)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर।
3	श्री कसदान नागले, (अ.जा)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल।
4	श्री अनिल कुमार वर्मा, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल।
5	कु. मालती बंसोड, (अ.जा)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी।
6	सुशमा ढोबले, (सामान्य)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास।
7	श्री शिवराम किरावर, (अ.जा)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगौन।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलीराजपुर।
8	श्री रामेश चन्द्र साहूँ , (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद।
9	श्री शशिकांत गोरसेट्‌टीवार, (सामान्य)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा।
10	श्री व्ही.के. जायसवाल, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी।
11	श्री एस.सी. बोडे, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी।
12	श्री डी.एन. तजने, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाडा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाडा।
13	श्री एस.एस. पाटिल, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट।
14	श्री एस.के. काकडे, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी।

15	श्री आर.के. सारस्वत, (सामान्य)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाडा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाडा।
16	श्री राम सेवक मेहतो, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा।
17	श्री रमेश प्रसाद मेहतो, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नरसिंहपुर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर।
18	श्री बेजनाथ सिंह राजपूत, (सामान्य)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन।
19	श्री केशव सिंह राजपूत, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोकनगर।
20	श्री राधे सिंह राजपूत, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोकनगर।
21	श्री शरद कुमार वर्मा, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद।
22	श्री एस. के. वर्मा, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ।
23	श्री ए.आर. बोबडे, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाडा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाडा।
24	श्री एम.वी. राउत, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाडा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर।
25	श्री रमेश कुमार नामदेव, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना।
26	श्री एस.पी. तिवारी, (सामान्य)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमारिया।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमारिया।
27	श्री राजेन्द्र कुमार राठोर, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर।
28	श्री अनिल सिंह यादव, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्योपुरकला।
29	श्री सुशील सक्सेना, (सामान्य)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन।
30	श्रीमती सरोज शर्मा, (सामान्य)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास।
31	श्री एल.आर. पटेल, (सामान्य)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आगर।
32	श्री सगजीत सिंह वर्मा, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमच।
33	श्री उमेश कुमार चिमनिया, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ।
34	श्री महेश कुमार पटेल, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ।
35	श्री अब्दुल रहीम खान, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपूर।
36	श्री ओ.पी. तिवारी, (सामान्य)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन।
37	श्री आई.ए. सिद्धकी, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाडा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कटनी।

38.	श्री सोहनदास शर्मा, (सामान्य)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन।
39	श्री एस.के. चौधरी, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा।
40	श्री बी.पी. मेहतो, (सामान्य)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खण्डवा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलीराजपुर ।
41	श्री लखनलाल कोरव, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ।
42	श्री महेश कुमार वर्मा, (ओ.बी.सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमच।
43	श्री एस.एस. जयंत, (अ.जा)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्योपुरकला।
44	श्री एम.एल. गाडरे, (अ.जा)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर।
45	श्री जगमोहन लाल बसोडिया, (अ.जा)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया।

1. मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/1032/464/2015/सत्रह/मेडि–एक, दिनांक 13.05.2015 अनुसार नॉन मेडिकल सुपरवाईजर के पुनर्विभिजन युक्तियुक्त करण (Reallocate) के तहत पदों पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया है।
2. पदोन्नत कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लंबित है अथवा निलंबित है, तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजे।
3. पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस की अवधि में पदोन्नत कर्मचारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. संबंधित कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने/कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालनालय को 07 दिवस मे आवश्यक रूप से भेजना होगा । अतिशेष की स्थिति मे कर्मचारियों को कर्तव्य पर उपस्थित नहीं कराया जावे ।
5. पदोन्नत कर्मचारियों के समस्त मूल अभिलेखों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराई जाने की पूणरूपेण जिम्मेदारी जहां उन्हें पदस्थ किया गया है के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी । सभी प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जाना आवश्यक होगा। यदि कर्मचारी संबंधित संवर्ग के अधीन न आता हो अथवा प्रमाणपत्र संदिग्ध लगता है तो उन्हें कर्तव्य पर उपस्थित न कराते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को विशेष डाक द्वारा भिजवाई जाना सुनिश्चित करें ।
6. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण संबंधी निर्देशो का पालन किया गया है ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 2/अवि./सेल–डी.पी.सी/2015/430-D भोपाल,दिनांक 19/06/2015

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
3. अध्यक्ष, विभागीय पदोन्नति समिति, स्थानीय कार्यालय ।
4. संचालक कुष्ठ/ संयुक्त संचालक कुष्ठ स्थानीय कार्यालय ।
5. डॉ. राजीव सक्सेना, वित्तीय सलाहकार, स्थानीय कार्यालय।
6. संयुक्त संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय ।
7. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. समस्त, जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. समस्त, जिला कुष्ठ अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. संबंधित कर्मचारियों की ओर पालनार्थ द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।

19/6/15

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश